फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....
.....नवल सिंह.....बनाम.....तनु..... मुकदमा.....
.....नं0 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.02.2025	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सुनवाई नहीं करने का निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट को आपत्ति है। पूर्व में भी दिनांक 28.11.2024 व दिनांक 23.01.2025 को इसी प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जो न्यायालय हाजा से दिनांक 24.01.2025 को खारिज किये जाकर, रैस्पो0 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गयी थी। परन्तु उनके द्वारा मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करते हुये, पुनः प्रकरण में सुनवाई नहीं करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट साबित है कि रैस्पो0 प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से बार–बार इस प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट की स्वयं की कब्जे व काश्त की आराजी है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के अंतरिम आदेश दिनांक 24.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 एक अंतरिम आदेश है, जो दिनांक 23.07.2024 तक ही प्रभावी है। अतः उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश, जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नही आता है। अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करते, उक्त अवसर का उपयोग किये बिना अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा संभव टालने योग्य है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.11.2024 उनवानी बिलाल वगै0 बनाम गोरा वगै0 में मण्डल की वृहदपीठ के निर्णय जगदीश बनाम भोपालाराम के पैरा संख्या 78 के	

बिन्दू संख्या 02 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रंमाक 6439 दिनांक 06.08.2024 के पैरा संख्या 04 में उल्लेख किया है कि अपीलीय न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय के आगामी पेशी तक दिये गये विधिसम्मत अंतरिम आदेशो में अनावश्यक और अ–न्यायोचित रूप से हस्तक्षेप करते हुये, परीक्षण न्यायालय के स्थगन आदेशो को अपास्त कर देते हैं। जिसके कारण परीक्षण न्यायालय के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वादग्रस्त भूमि के खुर्द–बुर्द होने व मूल वाद के गुणावगुण एवं अंतिम निर्णय भी प्रभावित होने की संभावना रहती है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य पाते हैं।

परन्तु हम अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि वह प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में अधिकतम 30 दिवस के अंदर निस्तारित करें।

पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल आर्य)
आर0ए0एस0
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर